राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2012 जयपुर, दिनांकः 21 AUG 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों को समय पर मानदेय के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि यह जानकारी में आया है कि कई जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आपको इस विभाग के पत्र दिनांक 18.10.2010 एवं 27.01.2011 द्वारा भी लिखा गया था। कई जिलों में योजना के प्रशासनिक मद में व्यय 6 प्रतिशत से अधिक हो जाने के कारण संविदा कार्मिकों को मानदेय का भुगतान रोक दिया जाता है, जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। यदि किसी कार्मिक से काम लिया गया है तो उसे मानदेय का समय पर भुगतान करना अत्यन्त आवश्यक है।

यदि जिले का प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो रहा है तो उसे 6 प्रतिशत की सीमा में रखने के लिए इस विभाग के पत्र दिनांक 22.11.2010 एवं दि. 03.04.2012 के अनुसार कार्यवाही की जावे। प्रशासनिक मद में व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने पर संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान रोकना उचित नहीं है। अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मानदेय का भुगतान प्रतिमाह 1 तारीख को किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अति. मुख्य सचिव,
ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस